

रविवर सिंह

बनाम राजपुत्रकार

मुकदमा

दा.नं. 32/10/11

नं०

104

सन् 2021

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

12/11

फावली पोस्ट... 18/11/21

कलेक्टर

54/12

फावली जाली दाम अहमद जाली फावली को दखल कर कार्यवाही करने का बतलाने के लिये श्री अलामुल्ला अहमद पेश करने पर विगत डिग्री से पूर्व काण पेश हुई। वादी दाम का दाय उद्घोषना का हुकम अच्युत स्वयं-136 L-R Act इन मामल का पेश किया कि ग्राम पंच का बस एल. कतवा में जाली खात से नई 64 पुमान 61 के ख-ने 105, 107 जग 109, 111, 114, 115, 116, 117, 152 ल 154, 157 ल 161, 163, 164 कुल कित-19 कुल रकबा 7-25 ई० एवं खात से नया 65 पुमान 62 के ख-ने-170, खात से नया 66 पुमान 61 के ख-ने-167 रकबा 0-58 ई० एवं खात से नया 62 पुमान 64 के ख-ने-151 रकबा 0-06 ई०, ख-ने-156 रकबा 0-24 ई०, ख-ने-162 रकबा 0-33 ई०

स्थित है वादी की कम्पन है कि उपरोक्त वर्नित श्री राजपुत्र कार्ड (जमावेदी) सेक्टर 2074-74 में वादी की नाम रविवर सिंह सुपरि पुत्र हजारी लाल सुपरि की जगह घर में बोलस नाम रविवर पुत्र हजारी दफ



तारीख  
हुक्म

दर्ज कर दिया है जो कि गलत है।  
 जकी वडी के आधार कार्ड, बांग  
 कार्ड, पं कार्ड, काकागाह कार्ड पहचान  
 पत्र में कार्ड (कम) दस्तावेजों में वडी  
 का नाम रजवीर सिंह गुप्तर पुत्र हजारी  
 लाल गुप्तर दर्ज है वडी ने अपने गलत  
 नाम रजवीर पुत्र हजारी की जगह सही नाम  
 रजवीर सिंह गुप्तर पुत्र हजारीलाल गुप्तर राजब  
 रिमड में दर्ज कराने का निवेदन किया है।  
 प्रकरण के संवेद्य में J.L.R. व  
 पटवारीहल्का रिपोर्ट प्राप्त की गयी। प्राप्त रिपोर्ट  
 के अनुसार वडी के अन्य दस्तावेजों जैसे  
 आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, इंडीक्स  
 लार्सेंस, पेन कार्ड इत्यादि में वडी का नाम  
 रजवीर सिंह पुत्र हजारी दर्ज है जोकि पर  
 उपरोक्त अन्य मौलविगानों और वडी के सह-  
 खातेदारों से जानकारी करने पर उपरोक्त  
 जामिनियों ने बताया कि रजवीर पुत्र हजारी  
 एवं रजवीर सिंह पुत्र हजारी एक ही व्यक्ति  
 के नाम हैं। अतः राजब रिमड में रजवीर पुत्र  
 हजारी के स्थान पर रजवीर सिंह पुत्र हजारी  
 दर्ज किया जाना उचित है।

इसने वादपत्र व संलग्न दस्तावेजों  
 व पटवारी हल्का एवं J.L.R. रिपोर्ट का अवलोकन  
 किया। संलग्न दस्तावेजों व J.L.R. व पटवारी  
 हल्का रिपोर्ट के आधार पर यह आदेस दिया  
 जाता है कि ग्राम-धलाका वास की जमाबंदी  
 संवत् 2074-77 के खाता सं. 64 किला-19  
 रुका 7-25 है, खाता सं. 65 किला-1  
 रुका 0-33 है, खाता सं. 66 किला-1 रुका  
 0-58 है, खाता सं. 66 किला-1 रुका 0-63  
 है में वडी का नाम रजवीर पुत्र हजारी के  
 स्थान पर रजवीर सिंह पुत्र हजारीलाल दर्ज  
 किया जावे। एसीनकार कसवा निर्णयद्वारा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निम्नलिखित सामान्य रिपोर्ट के आधार पर  
दृष्टांत करे। पालन हेतु लक्षितकर कर्तव्य  
को लक्षित करे। प्रमुख निम्नलिखित प्रकार  
का कर्मचारी दायित्व दायता है।

राम लाल अधिकारी  
बंसीकुं (दीसा)